

न्यायालय उपचिलिकारी कुम्हा-प्रतापगढ़

बाद संख्या:- ६५

परमेश्वर प्रसाद मेवा जाल डिसी कालेज, मालाघर छत्ता द्वारा प्रबन्धक कुलदीप पुत्र
मेवालाल नियासी जाम मालाघर छत्ता, पर० डिगवस, तह० कुम्हा, प्रतापगढ़ बादी
जाम

ग्राम सभा प्रतिवाची

बाद अन्तर्गत थारा-143 ज़िले अधिक
भूमि रिक्षत ग्राम सरायसतामावागरीबी,
पर० डिगवस, तह० कुम्हा, प्रतापगढ़।

निर्णय

पक्षावली पर संलग्न बाद पत्र परमेश्वर प्रसाद मेवा जाल डिसी कालेज, मालाघर
छत्ता द्वारा प्रबन्धक कुलदीप पुत्र मेवालाल नियासी जाम मालाघर छत्ता, पर० डिगवस,
तह० कुम्हा, प्रतापगढ़ बादी भूमि रिक्षत ग्राम सरायसतामावागरीबी, परगना डिगवस,
तहसील कुम्हा की गाडा संख्या ६३ख मि० रकवा ०.५०८५०, ६३ग रकवा ०.१२०५० मैं ०.
०१३५०, व ६० रकवा १.०३७५० मैं ०.३९५५० व गाडा संख्या ६३ख १.८८०५० मैं ०.०८५५०
व गाडा संख्या ७०ग रकवा ०.०३८५० मैं ०.००५५० कुल ०५ फिला रकवा १.
००३५० भूमि को बादी द्वारा अनिलेख में अकृतिक दर्ज कराने का अनुरोध किया गया है।
उक्त प्रार्थना पत्र वीज जांच तहसीलदार कुम्हा से कराई गयी। तहसीलदार कुम्हा की
जांच आल्या दिनांकित २७.३.२०१५ शामिल पक्षावली है। तहसीलदार कुम्हा ने अपनी
जांच आल्या में उल्लेख किया है कि ग्राम सरायसतामावागरीबी, परगना डिगवस,
तहसील कुम्हा की गाडा संख्या ६३ख मि० रकवा ०.५०८५०, ६३ग रकवा ०.१२०५० मैं ०.
०१३५०, व ६० रकवा १.०३७५० मैं ०.३९५५० व गाडा संख्या ६३ख १.८८०५० मैं ०.०८५५०
व गाडा संख्या ७०ग रकवा ०.०३८५० मैं ०.००५५० कुल ०५ फिला रकवा १.
००३५० भूमि जो बादी की संझानभीय भूमि है, जोके पर उक्त भूमि पर गडाविद्यालय का
भवन निर्माणाधीन है तथा कृषि कार्य नहीं हो रहा है। जोके से स्पष्ट है कि दी गयी
भूमि अविवादित रूप से अकृतिक हो चुका है, जिसमें बादी कृषि बागवानी अथवा
पशुपालन जिसके अन्तर्गत गर्त्त रोबर्टन तथा बुक्कुट बालन है से अस्वद्वा इयोजन के
लिए प्रयुक्त कर रहा है।

पक्षावली का ऐसे द्वारा अवलोकन किया गया। तहसीलदार कुम्हा की आल्या
दिनांक २७.३.२०१५ से जाहम है। प्रश्नात् भूमि को अकृतिक घोषित किये जाने में कोई
विविक अद्यतन नहीं प्रतीत होती है।

आदेश

अतः तहसीलदार कुम्हा प्रतापगढ़ की आल्या दिनांक २७.३.२०१५ स्वीकार करते
हुए ग्राम सरायसतामावागरीबी, परगना डिगवस, तहसील कुम्हा की गाडा संख्या ६३ख
मि० रकवा ०.५०८५०, ६३ग रकवा ०.१२०५० मैं ०.०१३५०, व ६० रकवा १.०३७५० मैं
०.३९५५० व गाडा संख्या ६३ख १.८८०५० मैं ०.०८५५० व गाडा संख्या ७०ग
रकवा ०.०३८५० मैं ०.००५५० कुल ०५ फिला रकवा १.००३५० भूमि को अकृतिक घोषित
किया जाता है। किसी अन्यथा उपयोग वीज रिक्षति में यह आदेश रुक्त निरत समझा
जायेगा। आदेश की एक प्रति उप निबन्धक कुम्हा को आवश्यक कार्यकारी हेतु भेजी
जाए। बादनुसार बादी अनल दरानव यक्षावली द्याखिल दरक्तर हो।

27-3-2015
उपचिलिकारी,
कुम्हा-प्रतापगढ़।

रिक्षति संख्या-६३५

ठाकुरी वीज

३१-३-२०१५

PRINCIPAL प्रसाद मेवा
Parmeshwar Prasad Mevaa, मेवा
Maladhar Chaitta, Kund-Protapgarh, कुम्हा
तहसील, प्रतापगढ़, राजस्थान, भारत
पुस्तकालय, वीज विभाग, १०९२

१०९२ फ्रेम संख्या-१०९२

- १ वीज विभाग-वीज-१०९२
- २ वीज विभाग-वीज-१०९२
- ३ वीज विभाग-वीज-१०९२